प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21

भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)
भिवाडी (अलवर)

भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाडी

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2020–21

BIDA

एच-5, भगत सिंह, कालोनी, भिवाड़ी
दूरभाष : 01493 - 230344, 230819
E-mail: bidabhiwadi@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय / बिन्दु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	04
2.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	05 – 06
3.	स्वीकृत – कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	07
4.	वित्तीय स्थिति	08
5.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति	09 – 10
6.	सार संक्षेप	11

प्रस्तावना

भिवाडी राजस्थान के जिला अलवर जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है के पूर्वोत्तर में हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह क्षेत्र एन.सी.आर. में आता है जो अलवर मुख्यालय से 85 कि.मी. उत्तर में देश की राजधानी दिल्ली से 60 कि.मी. दक्षिण में है।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(3) डीएमआईसी/विविध/2016 दिनांक 22.01.2018 के द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत विशेष विनिधान रिजन ;प्ध्द्ध भिवाडी इंटिग्रेटेड टाउनशिप गठित किया गया। जिसके विकास के लिए डी.एम.आई.सी. विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण बनाया गया। जिसका मुख्यालय भिवाडी जिला अलवर है।

भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 1 लोकसभा क्षेत्र (अलवर) एवं 4 विधानसभा क्षेत्र (तिजारा, बहरोड, मुण्डावर एवं नीमराणा) शामिल है। वर्तमान में भिवाडी इंटिग्रेटेड टाउनशिप क्षेत्र में तहसीलवार निम्नानुसार कुल 321 राजस्व ग्राम शामिल है।

क्र.स.	तहसील	राजस्व ग्राम
1.	तिजारा	104
2.	बहरोड	43
3.	मुण्डावर	41
4.	नीमराणा	16
5.	कोटकासिम	117
	कुल :–	321

विभाग के कार्य

विभाग के निम्नानुसार मूल कार्य है :–

1. योजना/गैर योजना क्षेत्र में विकास कार्य करवाना।
2. नियोजित योजनाओं के भूखण्डों का विक्रय।
3. नवीन आवासीय/व्यावसायिक/अन्य योजना विकसित करना।
4. निजी निवेशकर्ताओं की भूमि की 90–क की कार्यवाही करना।
5. ले–आउट प्लान स्वीकृत करना।
6. भवन मानचित्र स्वीकृत करना।
7. मास्टर प्लान के अनुरूप विकास एवं सैक्टर रोड, जोनल प्लान की सडको का विकास।
8. जन कल्याण से संबंधित अन्य कार्य।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

राजस्थान विनिधान रिजन की धारा 9 (1) के तहत भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है :–

1.	प्रभारी मंत्री दिल्ली–मुम्बई कोरिडोर विभाग, राजस्थान सरकार	
2.	लोक सभा सदस्य अलवर	अध्यक्ष
3.	राजस्थान विधानसभा सदस्य मुण्डावर (अलवर)	सदस्य
4.	राजस्थान विधानसभा सदस्य बहरोड (अलवर)	सदस्य
5.	राजस्थान विधानसभा सदस्य किशनगढ़बास (अलवर)	सदस्य
6.	राजस्थान विधानसभा सदस्य तिजारा (अलवर)	सदस्य
7.	दिल्ली–मुम्बई कोरिडोर विभाग, का सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त / उप शासन सचिव रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य
8.	दिल्ली–मुम्बई कोरिडोर विभाग, का आयुक्त या उसका प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त की रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक रीको या उसका प्रतिनिधि जो सलाहकार की रैंक से नीचे का ना हो।	सदस्य
10.	जिला कलक्टर अलवर	सदस्य
11.	जिला पुलिस अधीक्षक अलवर	सदस्य
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर	सदस्य
13.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एन.सी.आर) जन. स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग अलवर	सदस्य
14.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, भिवाडी	सदस्य
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावें।	सदस्य सचिव

भिवाडी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण, (बीडा) भिवाडी

- अध्यक्ष एवं माननीय उद्योग मंत्री
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
    - उप सचिव
      - आयोजना शाखा
        - वरिष्ठ नगर नियोजक
          - उप नगर नियोजक
            - सहायक नगर नियोजक
              - वरिष्ठ प्रारूपकार
                - वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक
      - राजस्व शाखा
        - तहसीलदार
          - भू.अभि. निरीक्षक
            - पटवारी
      - भूमि अवाप्ति शाखा
        - भूमि अवाप्ति अधिकारी
          - वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक
      - अभियान्त्रिकी शाखा
        - अधीक्षण अभियन्ता
          - अधिशाषी अभियन्ता
            - सहायक अभियन्ता
              - कनिष्ठ अभियन्ता
      - लेखाशाखा
        - वरिष्ठ लेखाधिकारी
          - सहायक लेखाधिकारी–I
            - सहायक लेखाधिकारी–II
              - कनिष्ठ लेखाकार
      - आवंटन शाखा
        - व. लिपिक/क. लिपिक
      - संस्थापन शाखा
        - व. लिपिक/क. लिपिक
      - विधि शाखा
        - व. लिपिक/क. लिपिक

स्वीकृत - कार्यरत तथा रिक्त पदो का विवरण

क्र.	विवरण / नाम पद	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	1	–
2	उप सचिव	1	1	–
3	भूमि अवाप्ति अधिकारी	1	1	–
4	तहसीलदार	1	–	1
5	अधीक्षण अभियन्ता	1	–	1
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	–
7	वरिष्ठ नगर नियोजक	1	–	1
8	उप नगर नियोजक	1	1	–
9	अधिशाषी अभियन्ता	2	1	1
10	अधिशाषी अभियन्ता (Ex. Cadre PHED)	1	–	1
11	सहायक अभियन्ता (Ex. Cadre PHED)	1	–	1
12	सहायक अभियन्ता (सिविल)	4	1	3
13	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	1	1	–
14	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9	5	4
15	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	2	–	2
16	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
17	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	–
18	भू–अभिलेख निरीक्षक	1	1	–
19	पटवारी	4	2	2
20	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1
21	कनिष्ठ लिपिक	4	–	4
22	स्टोर मुंशी	1	1	–
23	भवन निरीक्षक	1	–	1
24	वाहन चालक	2	–	2
25	इलैक्ट्रिशियन	1	–	1
26	कैड ऑपरेटर	1	–	1
27	स्टेनो	1	–	1
28	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3
	योग :–	53	21	32

Statement Showing Financial Position as on 31.12.2020 (in lacs)

S.No.	Head	Amount in Saving Account	FDR	Total
1	BIDA Cash Book	1063.65	568.30	1631.95
	Total - A =	**1063.65**	**568.30**	**1631.95**
2	BSUP Fund	120.92	447.00	567.92
	Total - B =	**120.92**	**447.00**	**567.92**
3	Firecess	9.58	1949.00	1958.58
	Total - C =	**9.58**	**1949.00**	**1958.58**
4	i) Advance to UIT Alwar (8% per yaer interest)			1900.00
	ii) Interest amount			779.06
	Total - D =			**2679.06**
			Total A+B +C+D=	**6837.51**
5	Less libilities			**1749.03**

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य [illegible] प्रगति एवं उसी विगत ती[illegible] से तुलना :–

क्र. स	प्रमुख कार्य	वर्ष 2017–18 (व्यय राशि लाखों में)	वर्ष 2018–19 (व्यय राशि लाखों में)	[illegible] 20 (व्यय [illegible])	[illegible] (2020–21)
1.	[illegible] मार्ग संख्या 25 अलवर रोड मटिला से औद्योगिक क्षेत्र [illegible] गोधान की ओर सडक का निर्माण कार्य।	–	185.05	143.56	–
2.	सैक्टर नम्बर 8 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य		17.42	137.11	45.20
3.	गौरवपथ पर डिवाईडर इत्यादिके सौन्दर्यीकरण का कार्य।	–		112.88	–
4.	न्यास क्षेत्र में बस स्टॉप शैल्टर लगाने का कार्य।	–	–	67.75	–
5.	भिवाडी में "अमृत योजना" के तहत् सैन्ट्रल पार्क व सैक्टर 05 पार्क का विकास एवं सौन्दर्यकरण का कार्य मय 2 वर्ष दोष निवारण अवधि एवं 3 वर्ष रख–रखाव।	–	36.24	50.01	56.00
6.	सैन्ट्रल पार्क में अमृत योजना के अतिरिक्त पार्क के विकास के सिविल व अन्य कार्य।	–	102.00	10.00	–
7.	योजना क्षेत्र / गैर योजना क्षेत्र में सीमेन्ट कॉन्क्रीट / बी0टी0 सडक निर्माण कार्य। (वार्षिक अनुबंध)	–	–	–	–
8.	ग्राम पंचायत बर्डोद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	–	–	12.42	27.14
9.	ग्राम अजरका में सुन्दरवाडी की ओर डामर सडक निर्माण कार्य।	–	–	44.00	–
10.	ग्राम महेशरा में विद्यालय के खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	–	–	23.11	–
11.	ग्राम दरबारपुर से ग्राम हाडाहेडी की ओर डामर सडक निर्माण कार्य।	–	–	21.00	–
12.	सोडावास से तेजपुरा की ओर डामर सडक निर्माण कार्य।	–	–	28.00	–
13.	ग्राम सींथल से शहीद की मूर्ति से हरियाणा सीमा तक वाया खानपुर डामर सडक निर्माण कार्य।	–	–	20.18	40.78
14.	अलवर बाईपास पर भगत सिंह कॉलोनी से हरियाणा सीमा तक बॉक्स कल्वर्ट एवं नाला निर्माण कार्य।	–	–	–	41.03
15.	बस स्टैण्ड के निकट निर्मित बीडा की राजीव गॉधी एन्कलेव आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित एल.आई.जी. आवासों के परिसर में आन्तरिक विकास कार्य।	–	–	–	57.14
16.	ग्राम खिजुरीबास तिराहे से जोहड तक मुख्य सडक के दोनो ओर नाला निर्माण कार्य।	–	–	–	62.60
17.	मांजरा में लीलाराम के घर से महादेश के घर (गौरवपथ) की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	–	–	10.00	29.83
18.	गौरव पथ से बाबा मोहन राम मार्ग पर कन्टेनर डिपो तक पेवरीकरण का कार्य।	–	–	–	137.27
19.	बीडा के एस.टी.पी. के परिशोधित जल का पार्को तक निष्कासन हेतु डी.आई. पाईप लाईन डालने का कार्य।	–	–	–	83.97

आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

01. अमृत योजना के तहत भिवाडी स्थित सैन्ट्रल पार्क व सैक्टर 05 में राशि 224.00 लाख की लागत से पौधा रौपण, पार्क, जिम उपकरण एवं बच्चों के खेलने हेतु उपकरण लगाये गये है।

02. सैक्टर 08 आमजन की सुविधा को देखते हुए शादी समारोह एवं उत्सवों के लिए सामुदायिक भवन का राशि 200.00 लाख रूपये की लागत से निर्माण किया गया है।

03. बर्डोद में आमजन की सुविधा को देखते हुए शादी समारोह एवं उत्सवों के लिए सामुदायिक भवन का राशि 60.00 लाख रूपये की लागत से निर्माण किया जा रहा है।

04. राज्य मार्ग संख्या 25 अलवर रोड मटिला से औधोगिक क्षेय वाया गोधान की ओर सडक राशि 394.00 लाख का निर्माण करवाया गया है। जिससे राज्य मार्ग संख्या 25 से कहरानी औधोगिक को जाने वाले वाहनों को सीधा एवं सुगम यातायात उपलब्ध हो रहा है तथा राज्य मार्ग संख्या 25 पर यातायात का दबाव कम हो गया है।

सार-संक्षेप

आलौच्य वर्ष में 6 प्रकरणों की 90ए, 6 प्रकरणों के साईट प्लान/ले–आउट प्लान जारी किये गये है तथा 3 प्रकरणों की लीजडीड एवं 6 प्रकरणों के भवन मानचित्रों का अनुमोदन आयोजना शाखा द्वारा किया गया है। आवंटन शाखा द्वारा 165 भूखण्डों/मकानों का नाम परिवर्तन, 48 प्रकरणों की लीजडीड, 97 प्रकरणों के लीज मुक्ति प्रमाण पत्र , 54 प्रकरणों में निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। इसके साथ ही बीडा के स्तर पर कार्यो का निस्तारण राज्य सरकार की अपेक्षानुसार त्वरित, एवं पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।